"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 268] रायपुर, बुधवार, दिनांक 25 जून 2014—— आषाढ़ 4, शक 1936

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 जून 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-15/खाद्य/2011/29-1. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नापतौल विभाग (तृतीय श्रेणी) सेवा भर्ती नियम 2012 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियम में -

(क) नियम 2 में,-

(i) खंड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्त: स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् -

(ठ) "मण्डल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल.

(ख) नियम 11 में, उप-नियम (1) एवं (2) को विलोपित कर उनके स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम अन्त: स्थापित किया जाता है, अर्थात् -

(1) (एक) सेवा के लिए अभ्यर्थियों का चयन, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति अथवा मण्डल द्वारा प्रतियोगी परीक्षा की मैरिट के आधार पर की जायेगी.

(दो) प्रतियोगी परीक्षा शासन के परामर्श से एवं समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी अथवा मण्डल द्वारा ली जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

रायपुर, दिनांक 25 जून 2014

क्रमांक एफ 1-15/खाद्य/2011/29-1/743.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 जून, 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

Raipur, the 25th June 2014

NOTIFICATION

No. F 1-15/Food/29-1. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Weights and Measures Department (Class-III) Service Recruitment Rules-2012, namely :-

AMENDMENT

In the Rules-

(a) In Rule-2,-
  (i) After clause (k) the following clauses shall be inserted, namely-
    (l) "Board" means the Professional Examination Board of Chhattisgarh.

(b) In Rules 11, Sub-rules (1) and (2) are deleted and the following Sub-rules shall be added, namely :-

(1) (One) Selection of candidates for the service, a Selection Committee shall be constituted by appointing authority or Board on the basis of merit to competitive Examination.

(Two) The Competitive Examination shall be held by the Appointing Authority or Board consultation with Government accordance with such orders issued by the Government from time to time

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIKAS SHEEL, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.